विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	
1.	पृष्ठभूमि	
2.	पहले की एनबीएम की समीक्षा और समाधान किए जाने वाले मुद्दें	
3.	उद्देश्य	
4.	कार्यनीति	
5.	मुख्य परिणाम	
6.	मिशन संरचना	
	I) राष्ट्रीय स्तरीय	
	कार्यकारी समिति	
	उप समिति 1	
	उप समिति 2	
	राष्ट्रीय बांस मिशन सेल	
	बांस तकनीकी सहायता समूह	
	II) राज्य स्तरीय	
	राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति	
	बांस विकास एजेंसी	
	III) जिला स्तरीय	
7.	कार्य योजना और अनुमोदन की तैयारी	
8.	निगरानी और मूल्यांकन	
9.	वित्त पोषण प्रतिमान	

10.	मिशन हस्तक्षेप	
10.1	अनुसंधान एवं विकास	
10.2	बागान विकास	
10.2.1	नर्सरियों की स्थापना	
10.2.2	प्रमाणित रोपण सामग्री	
10.2.3	नर्सरी	
10.2.4	नए बागान लगाना	
10.3	विस्तार, शिक्षा और कौशल विकास	
10.4	सूक्ष्म सिंचाई	
10.5	फसल कटाई भंडारण और उपचार सुविधाएं	
10.6	बांस मंडी के लिए बुनियादी ढांचे का संवर्धन और विकास	
10.7	बांस मार्केट अनुंसधान	
10.8.	उष्मायान केंद्र	
10.9.	उत्पादन, विकास और प्रसंस्करण	
	अनुबंध I: पूर्व के एनबीएम में बनाए गए बुनियादी ढांचे की राज्यवार सूची	
	अनुबंध- II: मंत्रालयों/विभागों की कार्यान्वयन भूमिका के लिए हस्तक्षेप	
	अनुबंध- III: संकेतक बीटीएसजी घटक	
	अनुबंध- IV: लागत मानदंडों और वित्त पोषण प्रतिमान के साथ हस्तक्षेप	
	अनुबंध- V : वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप	
	अनुबंध- VI : कार्यकारी समिति के अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप	

राष्ट्रीय बांस मिशन के प्रचालानात्मक दिशा-निर्देश

1. पृष्ठभूमि

बांस पौधों का एक बहुमुखी समूह है जो लोगों को पारिस्थितिकी और आजीविका संबंधी सुरक्षा मुहैया कराने में सक्षम है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र (13.96 मिलियन हेक्टेयर) पर बांस की खेती की जाती है तथा भारत बांस की 136 विविध प्रजातियों (125 देशी और 11 विदेशी) की खेती करने वाला चीन के बाद दूसरे नम्बरर पर आता है। भारत में बांस का वार्षिक उत्पा दन 14.6 मिलियन टन होने के साथ-साथ इसकी वार्षिक प्रति हेक्टे यर उपज केवल 1 से 3 टन तक है जो एक ऐसा मुख्य मुद्दा है जिसका समाधान किया जाना है। भारत में 'बैम्बू एंड रतन इंडस्ट्री□ज' की कीमत 28005 करोड़ रूपए है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान बांस और बांस संबंधी उत्पा दों का निर्यात क्रमश: 0.11 करोड़ रूपए और 0.32 करोड़ रूपए का था जबकि इसका आयात क्रमश: 148.63 करोड़ रूपए और 213.65 करोड़ रूपए का था। इस प्रकार भारत बांस का वास्त विक आयातक है। इसका अर्थ यह है कि बांस के उत्पा ूदन में वृद्धि करने के साथ उचित मूल्यं श्रृंखला व्ययवस्था स्थाथपित करके इसकी विक्रय क्षमता को एक बड़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। देश के अधिकांश पर्वतीय राज्योंि में बांस का उपयोग भवन निर्माण/निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। इसके अलावा बांस कागज व लुगदी , निर्माण कार्य, फर्नीचर, वस्त्र, आहार, ऊर्जा उत्पाि दन आदि जैसे उद्योगों में समकालिक उपयोगों/अनुप्रयोगों सहित विभिन्नी प्रयोजनों के लिए बुनियादी कच्चीि सामग्री के रूप में भी इस्तेामाल किया जाता है। यह खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए बांस आधारित आजीविकाओं व रोजगार की क्षमता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बांस क्षेत्र की बड़ी अदोहित क्षमता , हमारे उद्योग को आपूर्ति हेतु गुणवत्ताप्रद और उपयुक्त प्रजातियों की घरेलू खेती को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिगत , पूरे देश में कार्यान्वयन किए जाने के लिए पुन: संरचित राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) का अनुमोदन किया गया है।

2. पहले के एनबीएम समाधान किए जाने वाले मुद्दे की समीक्षा

राष्ट्री□य बांस मिशन को वर्ष 2006-07 में केन्द्रस प्रायोजित स्कीरम के रूप में शुरू किया गया था और वर्ष 2014-15 के दौरान इसे समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) में मिला दिया गया था जो वर्ष 2015-16 तक जारी रहा। इसके बाद एन.बी.एम. के तहत केवल पूर्व में लगाए गए बांस के पौधों के अनुरक्षण हेतु निधियां दी गई। तथापि, इसे सीमित मसाला व उपचार यूनिटों के साथ मुख्य रूप से बांस के प्रचार-प्रसार तथा खेती तक ही सीमित कर दिया गया। एनबीएम के तहत 2006-07 से मुख्य उपलब्धियां जो वेबसाइट www.nbm.nic.in पर भी उपलब्ध हैं, निम्नानुसार हैं:

i) 1466 नर्सरी तथा 3 टिश्युकल्चर यूनिटों की स्थापना की गई/का पुनर्वास किया गया।

ii) बांस वृक्षारोपण का कार्य वन क्षेत्रों में 2.37 लाख हेक्टेयर में तथा गैर-वन क्षेत्रों में लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर में किया गया।

iii) 0.91 लाख हेक्टेयर के मौजूदा बांस स्टॉक का उत्पादकता में सुधार के लिए उपचार किया गया।

iv) लगभग 0.86 लाख हेक्टेयर गैर-वन क्षेत्रों में कीट एवं रोग प्रबंधन का कार्य शुरू किया गया।

v) 39 बांस थोक मंडियों, 40 बांस बाज़ारों तथा 2 9 खुदरा दुकानों की स्थापना की गई।

vi) इस मिशन के तहत बढ़ावा दिए गए विभिन्न कार्यकलापों का एक सहवर्ती परिणाम/लाभ रोजगार सृजन था।

vii) बांस उद्योग के विकास के लिए बांस की कच्ची सामग्री भी उपलब्ध कराई गई।

टिश्यु कल्चर प्रयोगशालाओं , संरक्षण और उपचार संयंत्रों , बांस बाजारों आदि सहित सृजित की गई अवसंचना की राज्यवार सूची अनुबंध-I पर प्रस्तुत है।

राज्यों को इष्टतम उपयोग के लिए इन संपत्तियों का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। राज्य गैर-वन क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में किए गए वृक्षारोपणों का मानचित्रण भी करेंगे ताकि पुन: संरचित एनबीएम के तहत किए जाने वाले नए वृक्षारोपण के अतिरिक्त इन्हें मूल्य श्रृंखला में शामिल किया जा सके।

हालांकि एनबीएम ने वन और गैर-वन दोनों क्षेत्रों में बांस क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन योजना की मुख्य कमजोरी उत्पादकों (किसानों) और उद्योग और मजबूत मूल्यवर्धन घटक के बीच संबंधों की अनुपस्थिति थी। इसलिए अब प्राथमिक प्रसंस्करण व उपचार , सूक्ष्म, छोटे व मध्यम उद्यमों और साथ ही उच्च मूल्य वाले उत्पादों; मंडियों, तथा कौशल विकास सहित अपेक्षित प्रजातियों के बांस के गुणवत्ताप्रद वृक्षारोपण करने का प्रचार-प्रसार करने पर जोर होगा , इस तरह बांस आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बांस क्षेत्र के विकास हेतु एक पूर्ण मूल्य श्रृंखला सुनिश्चित होगी जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। पूर्व-उत्पाद प्रसंस्करण के विशिष्ट चरणों में विशेषज्ञता रखने वाली प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां बांस उत्पादन के क्षेत्रों के पास स्थापित की जाएंगी। ये इकाइयां माध्यमिक प्रसंस्करण करने वाली बड़ी इकाइयों में शामिल हो जाएंगी , जो बाद में तैयार उत्पाद बनाने वाली एमएसएमई तथा हाई एंड दोनों प्रकार के उद्योगों में शामिल हो जाएगी। यह अपशिष्ट को कम करेगा, दक्षता को बढ़ावा देगा और विशिष्ट चरणों में विशेषज्ञता विकसित करेगा जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में उल्लेखनीय गिरावट आएगी। आदर्श रूप से शून्य अपशिष्ट होने का प्रयास किया जाएगा। यह घरेलू और वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बांस आधारित उद्योग के सामने आने वाले मुद्दों का भी समाधान करेगा। पौध रोपण सामग्री , पौधरोपण और एकत्रीकरण, समेकन, प्रसंस्करण, विपणन तथा सामुहिक दृष्टिकोण प्रणाली में ब्रांड निर्माण संबंधी पहल से शुरू करके उत्पादकों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ने के लिए एनबीएम में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की परिकल्पना की गई है। जिला या ब्लॉक स्तरीय समूहों का निर्माण किया जाएगा तथा उपयुक्त मशीनरी के साथ सामान्य सुविधा/प्रौद्योगिकी केंद्रों (सीएफसी) का विकास किया जाएगा।

तदनुसार बांस विकास के क्षेत्र में निम्नौलिखित कार्यों का खासतौर पर निर्धारण किया जायेगा:

i. सरकारी और निजी इलाकों के गैर वन्य् क्षेत्रों में उत्पातदकता को बढ़ाना
ii. मूल्यीवर्धन और नवीन उत्पायद विकास में नवाचार लाना
iii. मंडी अवसंरचना के विकास सहित किसान उत्पाीदकों के साथ संबंध स्थापपित करना
iv. मौजूदा बांस आधारित उद्योग को सुदृढ़ करने के साथ नए उभरते हुए क्षेत्रों को तलाश करके इस उद्योग में वातावरण को प्रतिस्पुर्धात्मसक बनाना
v. पर्यावरण अनुकूल और लकड़ी के बेहतर विकल्पा के रूप में बांस की बाबत वृहद आईईसी अभियान, कौशल विकास, अनुसंधान और अन्यप विकास कार्यों का मार्ग प्रशस्त करना।

बांस क्षेत्रक के समग्र विकासार्थ निम्नकलिखित समस्यानओं का समाधान किया जाना आवश्य्क है:

i. **क्षेत्रक सहक्रिया :** बांस का बहुआयामी उपयोग केन्द्रा और राज्यों् के विभिन्न। मंत्रालयों और विभागों के कार्यकलापों से जुड़ा हुआ है। एनबीएम बांस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न् मामलों में सामजस्यय एवं सहक्रिया स्थाएपित करने के प्रयोजनार्थ एक मंच के रूप में कार्य करेगा।

ii. **वृद्धिकृत उत्पा ोदकता** देश में मांग आपूर्ति अंतराल को कम करने के लिए उत्पा दकता में सुधार लाने पर जोर दिया जायेगा। इस उद्योग से संबंधित आवश्येकताओं को दृष्टिकगत रखते हुए अनुसंधान और विकास कार्यों के द्वारा प्रदत्तआ सहायता के आधार पर गुणवत्ता युक्तक रोपण सामग्रीबांस से संबंधित बेहतर कृषि कार्य और उसकी कटाई पर विशेष ध्यानन दिया जायेगा।

iii. **देशी उपकरण/उपस्क र/मशीनें/प्रौद्योगिकियां :** बांस की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किए जाने के प्रयोजनार्थ सामुदायिक और औद्योगिक स्तनर पर अधिक सुचारू प्रसंस्कएरण कार्य निष्पायदित किए जाने के निमित बांस की भारतीय प्रजातियों के लिए उपयुक्तक उपकरणों और उपस्कपरों के विकासार्थ अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को बढ़ावा दिया जायेगा।

iv. **उत्पाद विकास,प्रसंस्करण और विपणन :** मौजूदा परिदृष्या पर एनबीएम उत्पावद विकास, मूल्यावर्धन, संरक्षण एवं भंडारण, प्राथमिक प्रसंस्कौरण, मंडी से संबंधित कार्यों और क्षमता निर्माण आदि के परिप्रेक्ष्या में संबंधित नवाचारों पर विशेष ध्या न देगा।

v. **नीतिगत मुद्दे :** बांस उद्योग को इस आशय के साथ प्रोत्सापहित किया जायेगा जिससे बांस क्षेत्रक के विकास को तेज गति प्रदान की जा सके। इसका विशेष महत्वो इस कारण भी है कि इस क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तद आमदनी की जबरदस्त संभावनाओं के आधार पर किसानों की आय में वृद्धि की जा सके।

vi. **भवन निर्माण उद्योग को प्रोत्सातहन :** भवन निर्माण क्षेत्र में बांस के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने के प्रयोजनार्थ सरकार को पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए जाने के लिए अधिदेशित किया गया है। विशेष रूप से निर्माण कार्य के क्षेत्र में बांस से संबंधित उत्पाशदों की मौजूदा खपत विशेष रूप से उल्लेखिनीय नहीं है। देखा गया है कि बांस आधारित कुछ उद्योग जो इस समय मौजूद हैं वे भी अपनी पूर्ण रूपेण क्षमता के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में इस आशय के साथ नीतिगत निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है कि कार्यालयों , आवासों , सर्वशिक्षा अभियान के तहत चल रहे विद्यालयों , प्राथमिक स्वास्य्मे केन्द्रोंक स्वालस्य्ों केन्द्रों स्य्ा सुविधाओं को विस्ता रित करने के निमित कार्य कर रहे चिकित्सकों/नर्सों , अर्धसैनिक बलों के बैरकों , विद्यालय के फर्नीचर आदि सहित सरकार के सभी निर्माण कार्यों में बांस के कतिपय इस्तेधमाल की मात्रा सुनिश्चि त की जाये। इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चिंत किया जाए कि जनसाधारण इस यर्थाथ से अवगत हो कि बांस का उपयोग और बांस उद्योग पर्यावरण अनुकूल है।

3. उद्देश्यप

i. किसानों की आय बढ़ाने , जलवायु परिवर्तन से उत्प न्नय वातावरण के साथ सामजस्यच स्था.पित करने और बांस उद्योग को गुणवत्तायुक्त कच्चीथ सामग्री उपलब्ध कराए जाने के प्रयोजनार्थ सरकारी और निजी गैर वन्यक जमीनों पर बांस रोपण कार्यक्रम के तहत क्षेत्र में इजाफा किया जायेगा। बांस के रोपण कार्य को किसानों के खेतों , सामुदायिक जमीनों, कृषि योग्य बंजर जमीनों, सिंचाई करने वाली नहरों के किनारों और जल निकायों आदि के क्षेत्र में विशेष रूप से बढ़ावा दिया जायेगा।

ii. उत्पारदन स्रोत के निकट प्राथमिक नवाचारी प्रसंस्कारण एकांशों को स्थाोपित करके फसलोंपरान्तप प्रबंधन में सुधार लाने के साथ-साथ प्राथमिक उपचार , आवधिक पादपों , संरक्षण प्रौद्योगिकियों और मंडी संबंधी सुविधाओं का निर्धारण किया जायेगा।

iii. सूक्ष्मो, लघु और मध्य म स्तयर पर अनुसंधान एवं विकास कार्यों , संबंधित उद्यमों और व्याापारिक मॉडलों को सहायता उपलब्धम कराकर मंडी संबंधी मांग को मद्दे नजर रखते हुए उत्पाषद विकास कार्यों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

iv. भारत में गैर विकसित बांस उद्योग को पुनर्जीवित किया जायेगा।

v. उत्पामदन से लेकर बाजार संबंधी मांग तक बांस क्षेत्र के विकासार्थ कौशल विकास, क्षमता निर्माण, जागरूकता सृजन को बढ़ावा दिया जायेगा।

vi. बांस उद्योग के लिए देश में ही बेहतर कच्चीज समग्री उपलब्धक कराकर बांस और बांस संबंधी उत्पा दों के आयात पर निर्भरता में कमी करने के प्रयोजनार्थ कारगर प्रयास किए जायेगें ताकि बांस के उत्पातदकों की आमदनी में वृद्धि की जा सके।

4. कार्यनीति

उपर्युक्ता उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन निम्न।लिखित कार्यनीतियों को अपनाएगा:

i. मिशन उन सीमित राज्यों में बांस के विकास पर विशेष ध्यानन देगा जहां विशेष रूप से मध्यय प्रदेश महाराष्ट्रा, छत्तीमसगढ़ ओडिशा , कर्नाटक , उत्त्राखंड , बिहार , झारखंड , आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु और केरल सहित पूर्वोत्तिर राज्योंा में इसे सामाजिक़ व्याेपारिक और आर्थिक स्थाान प्राप्त है।

ii. व्यायपारिक और औद्योगिक मांग के साथ बांस प्रजातियों की जननिक रूप से उत्तेम रोपण सामग्री का उत्पाादन सुनिश्चिात किया जायेगा।

iii. बांस क्षेत्र अर्थात बांस उत्पादकों से लेकर उपभोक्तानओं तक पूर्ण रूपेण मूल्यप श्रृंखला क्षेत्र में समग्र समाधान करने पर जोर दिया जाएगा जो केवल उत्पाादन और उत्पानदकता वृद्धि तथा बेहतर कृषि अभ्याेसों पर ही नहीं, बल्कि अन्यल मामलों के साथ-साथ किसान उत्पाेदक संगठनों और सहकारी समितियों को शामिल करते हुए समूहगत व्यहवस्थाो को

अपनाकर समेकित रूप में बांस के संरक्षण, प्रसंस्केरण , उत्पावद विकास और विपणन को भी दृष्टिगत रखा जायेगा।

iv) चूंकि बांस क्षेत्र के विकास के लिए समग्र समाधान की परिकल्पणना की गई है इसलिए इसके प्रभावी कार्यान्वेयन के वास्तेए मूल्यक श्रृंखला के प्रत्ये क चरण पर संगत विशेषज्ञता और नेटवर्क की आवश्यनकता होगी। तदनुसार मंत्रालयों/ विभागों/ एजेंसियों को उनकी क्षमता तथा कार्य आबंटन के आधार पर कार्यान्वसयन दायित्वल के साथ समेकन के लिए एक प्लेतटफार्म के रूप में मिशन का विकास किया गया है ताकि कार्यों में गहन तालमेल एवं एकरूपता और बाधा रहित विकास प्रक्रिया चलती रहे। इसके ब्यौकरे**अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

v) उत्पारद के विकास के अतिरिक्ती मंडी अवसंरचना, ई-व्यालपार आदि के माध्य्म से निर्यात संबंधि गतिविधियों को बढ़ावा देकर तथा घरेलू मंडियों को लाभ पहुंचा कर उत्पाधदकों/ किसानों को उच्चोतर आर्थिक लाभ दिलाने पर जोर दिया जाएगा।

vi) कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के माध्यलम से कर्मचारियों , फील्डध कर्मियों, उद्यमियों और किसानों की क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा।

vii) बांस के श्रेष्ठा क्लोन , प्रसंस्कररण प्रौद्योगिकी में सुधार , नए उत्पामदों और औजारों एवं मशीनों आदि के विकास के द्वारा बांस के उत्पालदन और उत्पाादकता को बढ़ाने के लिए विकास और अनुसंधान पर विशेष जोर दिया जाएगा।

viii) सचिव (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्यााण विभाग) की अध्ययक्षता में एक कार्यकारी समिति (ई .सी) राष्ट्री य स्तर पर मिशन को कार्यान्विधत करने के साथ-साथ उसकी निगरानी भी करेगी। इसके तहत राज्योंय से संबंधित वार्षिक कार्य योजना (ए .ए.पी) को मंज़ूर किए जाने के साथ-साथ विभिन्ना मंत्रालयों/ विभागों के बीच समन्वएयन भागीदारी , अभिसरण और सहक्रिया में भी मदद मिलेगी। दो उप-समितियां कार्यकारी समिति की सहायता करेंगी।

ix) कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वदयन का पर्यवेक्षण करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यनक्षता में राज्या स्तपरीय कार्यकारी समिति (एस.एल.ई.सी) का गठन किया जाएगा।

5. मुख्य परिणाम

एनबीएम क्रॉस सेक्टरल और बहु-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से बांस क्षेत्र के व्यापक विकास पर केंद्रित एक समर्पित पहल होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के किसानों की आय दोगुना करने और 'हर मेड पर पेड़' दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एनबीएम चरम घटनाओं के कारण हुई फसल क्षति के दौरान जोखिम प्रबंधन सहित आय और आजीविका स्रोतों में सहायक का काम करेगा। कृषि/कृषि- वानिकी फसल एवं फार्म वानिकी फसल के लिए अनुपयुक्तर सीमांत भूमि पर बांस उग सकता है। बांस का रोपण फार्म उत्पादकता और आय को बढ़ाएगा जिससे भूमिहीन और महिला किसानों सहित छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका के अवसरों में वृद्धि होगी। इस प्रकार खेती के लिए कम होते भू-संसाधनों और कम होती कृषि आय जैसे कारकों को देखते हुए वृक्षारोपण पहल कृषि क्षेत्र में वांछित सतत विकास को प्राप्त करने में मदद करने के लिए क्षमतावान साधन बन सकता है। ऊपरी भूमिगत बायोमास उत्पादन के अलावा बांस भूमि के नीचे के हिस्सों अर्थात राइजोम और जड़ों में पर्याप्त कार्बन भंडारित करता है और कम गहराई अर्थात एक मीटर वे उससे भी परे कार्बन पूल को समृद्ध करने में योगदान देता है। इसलिए वैज्ञानिक रूप से बांस का रोपण जलवायु परिवर्तन के विरूद्ध जोखिम को कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

आधुनिक प्रौद्योगिकियां बांस का टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी के विकल्प के रूप में उपयोग करने में मदद करेगी। बांस के फर्श , लेमिनेटेड फर्नीचर, मेट-बोर्ड, स्ट्रैंड लंबर आदि जैसे प्रीमियम उत्पादों की बड़े वित्तीय प्रभाव और रोजगार संभावना सहित बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मांग भी है। बांस के पुलों और पहले से निर्मित घरों की रक्षा , आपदा प्रबंधन और कम लागत वाले घरों के निर्माण में अपार संभावना हैं। पैक-फ्लैट और नॉकडाउन फर्नीचर उत्कृदष्ठऔ अवधारणाएं हैं। इसलिए वैश्विक मानकों के अनुरूप मूल्यवर्धित उत्पादों को देने के लिए प्रौद्योगिकी की साथ पारंपरिक और नवाचारों को मिश्रित करने की दिशा में एक केंद्रित दृष्टिकोण होगा।

उत्तर पूर्वोत्तंर परिषद (एनईसी) ने भी छोटे एवं सीमांत किसानों जो सरकार की वर्तमान प्राथमिकता है, को आय के अतिरिक्तन संसाधन उपलब्धो कराने के लिए संभावना वाले पूर्वोत्तपर क्षेत्र के लिए आर्थिक लाभ के प्रमुख स्रोत के रूप में बांस की खेती की पहचान की है। विभिन्ने नवाचारों और नीतिगत सहायता के माध्युम से बांस उद्योग के पुनरुत्थान सहित यह जलवायु सहय संरचनाओं के जरिए इस क्षेत्र में अन्य वैश्विदक प्रतिस्पचर्धियों को कड़ी चुनौती देकर जलवायु सहय संरचनाओं के द्वारा योगदान देगा तथा 'मेक इन इंडिया' मंत्र को भी आगे बढ़ाने में योगदान देगा।

परिकल्पित मुख्य परिणाम हैं:

(i) चुनिंदा आनुवंशिक रूप से उत्त म गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के पर्याप्त स्टॉक को सुनिश्चित करके दो साल की अवधि में बांस के तहत 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र का कवरेज।

(ii) सूक्ष्म, लघु, बड़ी प्रसंस्करण इकाइयों की माध्य म से बांस के उत्पाशदों का संवर्धन और विविधीकरण तथा बांस क्षेत्र में मूल्यि श्रृंखला का विकास।

(iii) ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देने सहित बांस मंडी/ बाज़ारों/ ग्रामीण हाटों और सुदृढ़ीकरण।

(iv) देश में कम महत्वपूर्ण बांस आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुसंधान , प्रौद्योगिकी, उत्पाद विकास, मशीनरी, व्यापार-सूचना और ज्ञान साझाकरण मंच के संबंध में देश के भीतर उन्नत सहयोग।

6. मिशन संरचना

एनबीएम , अम्ब्रै ला स्कीिम कृषोन्नवति योजना के अंतर्गत राष्ट्री□य सतत् कृषि मिशन (एनएमएसए) की एक उप योजना होगी।

I) राष्ट्री□य स्तयर

कार्यकारी समिति

कार्यकारी समिति, मिशन के कार्यकलापों का निरीक्षण करेगी और राज्यों□/संघ राज्य् क्षेत्रों की कार्य योजना को मंजूरी देगी। संक्रियात्म्क दिशा-निर्देशों में संशोधन , यदि कोई हैं, की सिफारिश कृषि मंत्री के अनुमोदन हेतु की जाएगी। राज्या की कार्रवाई योजनाओं के कार्यान्वंयन की समीक्षा कार्यकारी समिति द्वारा की जाएगी। कार्यकारी समिति की बैठक एक वर्ष में कम से कम दो बार की जाएगी। कार्यकारी समिति में निम्नरलिखित होंगे:

सचिव (एसीएंडएफडब्यू मे□) वन महानिदेशक और विशेष सचिव, एमओईएफसीसी सचिव (डीओएनईआर) सचिव (एमएसएनई)	अध्य क्ष सह-अध्य क्ष सह-अध्य क्ष सह-अध्य क्ष
अपर सचिव (एनआरएम), डीएसी एंड एफडब्यूएक	सदस्यच
एएस एंड एफए, डीएसी एंड एफडब्यूीएस□	सदस्यं
संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य्
सलाहकार कृषि, नीति आयोग	सदस्या

2 विशेषज्ञ* (उत्पादन, प्रसंस्क रण, डिजाइनिंग एवं उत्पािद विकास, औद्योगिक संवर्धन और विपणन)	सदस्यत
मिशन निदेशक, एनबीएम	सदस्यन सचिव

*गैर सरकारी सदस्योंक का कार्यकाल उनके नामांकन की तारीख से 2 वर्ष के लिए होगा। संबंधित मंत्रालय/विभाग का संयुक्तक सचिव या समकक्ष अधिकारी , जब कभी आवश्य कता हो विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा।

उप समिति 1

प्रचार और खेती से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए उपयुक्तण किस्मों, रोपण तकनीकों, टिस्यूम कल्चर, नई किस्मों के विकास की पहचान की जाएगी ताकि देश में बांस के बागानों की उत्पा दकता को सुधारा जा सके। उप महानिदेशक (अनुसंधान) , आईसीएफआरई इस उप समिति के आयोजक होंगे और सदस्यो अन्ये बातों के साथ-साथ आईसीएआर सीएएफआरआई, डीएसटी , राज्यय कृषि विश्वा विद्यालय , केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानन (सीएफटीआरआई), आदि से लिए जाएंगे।

उप समिति 2

बांस उद्योग को फिर से जीवंत करने के तरीकों और साधनों पर सलाह देने के लिए लघु उद्योग और कुटीर उद्योग दोनों के साथ-साथ बड़ी वाणिज्यिदक यूनिटें घरेलू मंडियों और निर्यात दोनों में निश्चि त भूमिका को समर्थ बनाएगी। उत्पादद विकास और प्रक्रियाओं में नवाचार, जिनमें स्वोदेशी औजार और उपस्क र शामिल हैं , इस उप समिति का मुख्यक अधिदेश होंगे। मंडी अनुसंधान तथा संबंधित नीतियों पर सलाह, बांस आधारित उद्योग को अन्यि वाणिज्यिओक उत्पादों के साथ प्रतिस्प र्धापूर्ण बनाने के लिए आवश्यिक होंगी। निदेशक , भारतीय प्लापईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थापन (आईपीआईआरटीआई) अन्यद बातों के साथ-साथ कृषि , सहकारिता एवं किसान कल्यासण मंत्रालय , एमएसएमई , डोनर , कौशल विकास एवं उद्यमिता , वस्त्रत और वाणिज्यथ मंत्रालय के सदस्य, विभिन्ना संगठन और उद्योगों के प्रतिनिधियों सहित इस समूह के अयोजक होंगे।

राष्ट्रीय बांस मिशन प्रकोष्ठत

मिशन निदेशक , एनडीएम की अध्यरक्षता में डीएसी एंड एफडब्यू , भारत सरकार में एक राष्ट्रीय बांस मिशन प्रकोष्ठ (एनबीएमसी) , स्था,पित किया जाएगा। एनएमएसए के अंतर्गत

विशेषज्ञों के प्रावधान के अनुसार , कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले समान पारिश्रमिक सहित , प्रभावी कार्यान्वायन हेतु दिशा-निर्देश और सलाह देने के लिए वरिष्ठय सलाहकार के रूप में उपयुक्तअ रूप से शिक्षित और राष्ट्री□य/अंतर्राष्ट्री□य स्तठर पर प्रतिष्ठिकत विशेषज्ञ को शामिल किया जाएगा। क्रमश: बांस रोपण और उत्पा द विकास में विशेषज्ञता/अनुभव वाले दो सलाहकार भी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्तष, अन्य परामर्शदाता/तकनीकी सहायक और कर्मचारी इस मिशन की अवधि के लिए संविदा पर शामिल किए जाएंगे। एनबीएमसी बांस मूल्यद श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी का भंडार होगा , जिसमें भारत सरकार के विभिन्नक अन्यं मंत्रालयों और विभागों से पर्याप्त समर्थन प्राप्तज होगा। राष्ट्री□य स्त र पर टीएसजी का संकेतक संघटक **अनुबंध-III** में दिया गया है।

बांस तकनीकी सहायता समूह (बीटीएसजी)

मिशन को आवश्यहक तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बांस तकनीकी सहायता समूह (बीटीएसजी) नामक राष्ट्री□य स्तार की एजेंसी की स्था(पना की जाएगी। मौजूदा तीन बीटीएसजी जो मिशन/राज्योंह को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं अर्थात (i) गन्नाग और बांस प्रौद्योगिकी केन्द्री (सीबीटीसी), गुवाहाटी (ii) भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) , देहरादून (iii) केरल वन अनुसंधान संस्थाीन (केएफआरआई)पीची, केरल बांस क्षेत्र के विकास के लिए पुनर्गठित राष्ट्री य बांस मिशन के तहत बना रहेगा।

बीटीएसजी में निम्न लिखित भूमिकाएं और कार्य होंगे:-

i) नीति, संगठनात्मक और तकनीकी मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भागीदार राज्यों का अक्सर दौरा करना।

ii) क्षेत्र या अंतिम उपयोगकर्ता के लिए अति उपयोगी बांस की उपयुक्त प्रजातियों की सिफारिश/सलाह देना।

iii) नवाचारों के लिए अंतर क्षेत्रीय बातचीत को सहक्रियाशील बनाना।

iv) बांस के बागानों, हस्तशिल्प, उत्पाद विकास, बांस विपणन और निर्यात के संबंध में क्षेत्रीय कार्यशालाओं के आयोजन के लिए सामग्री संकलित करना।

v) बांस क्षेत्र के विकास के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करना

vi) क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने में राज्यों की सहायता

vii) मिशन उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रचार अभियान चलाना

viii) मामला अध्यंयन को दस्तावेजबद्ध और प्रसारित करना

ix) क्षेत्रीय स्तर पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना

x) भारत और विदेश दोनों में विभिन्न हितधारकों और संस्थानों / संगठनों / एजेंसियों के साथ नेटवर्क बनाना।

बीटीएसजी को एनबीएम द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और राष्ट्रीय बांस मिशन प्रकोष्ठ/ को इसकी रिपोर्ट दी जाएगी।

II) राज्य स्तर

राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलईसी)

राज्य सरकारें राज्य बांस मिशन (एसबीएम) की ऐकरिंग करने और मिशन निदेशक राज्य बांस विकास एजेंसी का नामांकन करने के लिए विभाग की पहचान करेगी। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलईसी) जिसमें राज्य सरकार के विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ राज्य में मिशन की नीति और कार्यान्वयन के मार्गदर्शन के लिए कृषि, उद्योग, वन, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत संस्थान, उत्पादक संघ/एफपीओ आदि शामिल होंगे। एसएलईसी, निधियों के अनुमोदन और जारी करने हेतु राष्ट्रीय स्तदर पर एनबीएम की कार्यकारी परिषद को संप्रेषित करने से पहले राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं का अनुमोदन करने और इस योजना के प्रभावी कार्यान्वहयन एवं निगरानी सुनिश्चिात करने के लिए जिम्मेरदार होगी। एसएलईसी के सुझाए गए संघटक निम्नानुसार है:

मुख्य सचिव	अध्यक्ष
सचिव: कृषि, पर्यावरण और वन, उद्योग, वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, आदिवासी मामले	सदस्य
डीएसी एंड एफडब्ल्यू, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का नामांकन	सदस्य
दो विशेषज्ञ * (उत्पादन, प्रसंस्करण, डिजाइनिंग और उत्पाद विकास, औद्योगिक संवर्धन और विपणन)	सदस्यद
राज्य मिशन निदेशक	सदस्य सचिव

*गैर सरकारी सदस्योंि का कार्यकाल नामांकन की तारीख से 2 वर्ष के लिए होगा।

जिला, राज्यस तथा राष्ट्रर स्त र पर समर्पित परियोजना प्रबंधन दल को प्रभावी समन्व□य तथा मूल्यि श्रृंखला के विभिन्न खंडों के तालमेल को बनाने के लिए स्थापपित किया जाएगा। इसके अलावा, वेब एप्ली केशन तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके आवधिक तथा प्रभावी रिपोर्टिंग के लिए मजबूत निगरानी तंत्र तैयार किया जाएगा। प्रशासनिक एवं आकस्मि क समवर्ती एवं प्रभावी आकलन, कार्यकारी समिति की बैठक के आयोजन इत्याादि को**अनुबंध IV** पर दर्शाए गए मानदंडों के अनुसार परियोजना प्रबंधन लागत से पूरा किया जाएगा।

इस कार्यक्रम को एंकरिंग विभाग के मौजूदा कर्मचारियों तथा अन्या सम्बोद्ध विभागों , एसएयू, आईसीएआर के माध्यभम से प्रचालित किया जाएगा। परियोजना प्रबंधन दल (पीएमटी) के प्रावधानों के तहत जिला, राज्यम तथा राष्ट्रा स्त र पर पर्याप्तए संख्याू में संविदा कर्मचारी (सलाहकार / परामर्शदाता, तकनीकी सहायक, डेटा एंट्री / एमआईएस / आईटी कर्मचारी इत्यापदि) को नियुक्तह किया जाएगा।

<u>बांस विकास एजेंसी (बीडीए)</u>

प्रत्येसक राज्य में राज्यस सरकारों के नामांकन के अनुसार मिशन निदेशक की अध्यएक्षता में बांस विकास एजेंसी की स्थाेपना की जाएगी। बांस विकास एजेंसी में वन, कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास इत्याएदि जैसे संबंधित विभागों के प्रतिनिधि होंगे। राज्यं में मौजूद पंचायती राज संस्थान को एनबीएम क्रियाकलापों के कार्यान्वियन में पूरी तरह शामिल किया जाएगा। बीडीए राज्यच में एनबीएम के कार्यान्वपयन तथा समग्र समन्वय के लिए उत्तारदायी होगा। राज्यी स्तारीय एजेंसी के निम्नम कार्य होंगे:-

(i) विभिन्ना भागों (जिला , उप-जिला , अथवा जिलों का समूह) में बेस-लाइन सर्वेक्षण तथा व्यवहार्य अध्यनयन कराना ताकि बांस उत्पापदन की स्थि,ति, इसकी क्षमता तथा मांग एवं आवश्यमकतानुसार सहायता का निर्धारण किया जा सके। मंडी से किसानों / एफपीओ / एफपीसी / एसएचजी को जोड़ने के लिए कलस्टजर के आधार पर मंडी आधारित दृष्टिओकोण को अपनाने की आवश्याकता है।

(ii) भीतरी स्थासनों तथा उद्योग आवश्यसकताओं के अनुसार बांस आर्थिक जोन को स्थापित करने के लिए कार्य करना।

(iii) बांस तकनीकी सहायता समूह (बीटीएसजी) के समन्वसय से मिशन के लक्ष्यथ तथा उद्देश्यों के अनुरूप परिदृश्यन तथा वार्षिक राज्यश स्त रीय कार्यवृत्तक तैयार करना तथा इसके कार्यान्वशयन की देख रेख करना।

(iv) मिशन के क्रियाकलापों को पूरा करने, उसके खातों की उचित रूप से संभालने के लिए राज्या सरकार तथा अन्ये स्रोतों से निधि प्राप्ती करना तथा संबंधित एजेंसियों को उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुथत करना।

(v) एनबीएम, (डीएसी एंड एफडब्यूसजी)कृषि मंत्रालय को अग्रेषण के लिए एसएलईसी की आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तु(त करना।

(vi) क्रियान्वरयक संगठनों को निधि जारी करना तथा कार्यक्रम देखरेख , निगरानी तथा कार्यान्व्यन की समीक्षा करना।

(vii) किसान समितियां, एनजीओ, उत्पाकदक़उद्यमियों, संघ, स्व यं सहायता समूह राज्य संस्था न तथा अन्यक समान इकाइयों के माध्यीम से राज्यन में मिशन के कार्यक्रमों के कार्यान्वायन में सहायता करना तथा देखभाल करना।

(viii) राज्ये स्तंर पर सभी हित समूहों / संघों के लिए प्रदर्शन / व्यापार मेला इत्यासदि में कारीगरों की सहभागिता, कार्यशाला, सेमिनार तथा कौशल विकास / प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना।

(III) <u>जिला स्तार</u>

प्रत्येगक राज्यल की बांस विकास एजेंसी जिला स्त रीय एजेंसी गठित करेगी। इस एजेंसी में उद्योग, कृषि / बागवानी, वन, ग्रामीण विकास तथा अन्य विभाग, एसएचजी, एनजीओ इत्यारदि के अधिकारी शामिल होंगे। एजेंसी द्वारा प्राप्तज सभी प्रस्तावों का संकलन किया जाएगा तथा मूल्यांकन एवं जांच के लिए बीडीए को भेजा जाएगा। जिला उद्योग केन्द्रि (डीआईसी) , योजना समिति तथा पंचायती राज संस्थाडनों (पीआरआई) को उनकी विशेषज्ञता तथा उपलब्ध आधारभूत ढांचा के आधार पर कार्यक्रम के कार्यान्वोयन हेतु एकीकृत / शामिल किया जाएगा। नोडल विभाग का जिला स्तारीय अधिकारी सदस्यव सचिव होगा। दोहराव से बचने के लिए , जिला योजना के अनुमोदन के समय विभिन्नी स्तसरों पर समिति द्वारा समन्व य सुनिश्चित किया जाएगा।

एनबीएम के तहत अनुमेय इकाई लागत / सब्सिमडी घटक के कार्यक्रम / कार्यकलापों का विवरण **अनुबंध-IV** पर है।

राज्य बांस मिशन (एसबीएम) में बांस उत्पा ेदक के क्षेत्र के समीप स्थापपित किए जाने वाले उत्पातद - पूर्व प्रसंस्क्रण के विशेष उपायों में विशेषज्ञता प्राप्तप प्राथमिक प्रसंस्कारण इकाइयों पर ध्या्न केन्द्रि□त किया जाएगा। इन इकाइयों को द्वितीयक प्रसंस्किरण करने वाली बड़ी इकाइयों में सम्मिेलित किया जाएगा, जो इसके बदले में उद्योग में अभिसरित होगा।

इससे अपव्यंय में कमी होगी , कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तथा विशिष्टस उपायों का विकास होगा, जिसके परिणामस्विरूप उत्पा्दन लागत में भारी कमी आएगी। जिला अथवा ब्लॉक स्तमरीय क्लास्टजर का निर्माण किया जाना चाहिए तथा उपयुक्त प्रणाली वाले कॉमन सुविधा / तकनीकी केन्द्रों□ का विकास किया जाना चाहिए। विभिन्नत राज्यों में स्थिॉत विकास आयुक्तत के विकास संस्थापन एमएसएमई उत्पा ाद विकास को बढ़ावा देने तथा उत्पांदन इकाइयों को शुरू करने तथा बांस उत्पांदों के विपणन के लिए उद्मियों / ग्रामीण युवाओं का मार्गदर्शन करने तथा कौशल विकास में मुख्यो भूमिका अदा करेंगे।

7. <u>कार्य योजना तथा अनुमोदनों को तैयार करना</u>

राज्य एक व्यानपक कार्य योजना तैयार करेंगे , जिसमें 5 वर्ष की अवधि के लिए एनबीएम के तहत सभी कार्यक्रमों की परिकल्पकना की गई है, आपूर्ति - मांग को संतुलित करने के लिए क्लतस्टकर निर्मा ण खेती तथा उद्योगों की स्था ापना करने के लिए क्षमतावान क्षेत्रों को ध्यासन में रखते हुए क्षेत्र में संरचना पर आधारित सुधार करने के लिए विशिष्टा लघु , मध्यनम तथा दीर्घावधिक योजनाएं तैयार की गई हैं। दस्ता ावेजों के आधार पर वार्षिक कार्य योजना (एएपी) तैयार की जाएगी। वार्षिक कार्य योजना क्षेत्र आधारित , बांस विकास के लिए मौजूदा क्षमता , कार्यान्वजयन तथा निगरानी के लिए आवश्यतक अवसंरचना , एनबीएम के तहत निधियों के आवंटन तथा शुरू किए गए क्रियाकलापों में निधियों के सदुपयोग की क्षमता पर आधारित होगी। योजना को जिला स्तएर पर तैयार किया जाता हैं तथा एसएलसी के अनुमोदन तथा विचारार्थ राज्यि योजना की तैयारी के लिए बांस विकास एजेंसी (बीडीए) को प्रस्तुतत किया जाता है। एसएलईसी द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना पर राष्ट्रु स्तलरीय कार्यकारी समिति विचार करेगी। वार्षिक कार्य योजना में बांस विकास से संबंधित सभी मुद्दों के समाधान का प्रयास किया जाएगा, जिसमें पौधशाला प्रबंधन तथा बांस पौधरोपण , फसलोंपरांत भंडारण तथा उपचार , उत्पावद विकास, बांस

उत्पालदों का उत्पाौदन तथा विपणन अवसंरचना के विकास को कवर किया गया है। राष्ट्री□य बांस मिशन के वार्षिक कार्य योजना के प्रस्तुअतीकरण का प्रारूप**अनुबंध-V** पर है।

कार्यकारी समिति द्वारा कार्य योजना के अनुमोदन के बाद संबंधित मंत्रालय / विभाग से संबंधित क्रियान्व्यक एजेंसी को निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। संबंधित विभागों की आवधिक प्रगति तथा उपलब्धि्यों को कार्यकारी समिति के अग्रवर्ती विचार के लिए राज्यि नोडल विभाग से साझा करने की आवश्ययकता है। विशेष आर एवं डी क्रियाकलाप अथवा विशिष्टि कार्य के लिए, यदि केन्द्री□य मंत्रालय / विभागों के तहत कार्य करने वाली किसी राष्ट्री□य संस्थाणओं को दिया गया है, तब संस्थाि◌नों को वित्तीवय सहायता प्रत्यरक्ष रूप से संबंधित मंत्रालय / विभाग की सिफारिश पर दी जाएगी।

8. **निगरानी और मूल्यांकन**

निगरानी एवं मूल्यांकन (एम एंड ई) कार्यक्रम कार्यान्वयन के अभिन्न अंग होंगे। वास्तविक/वित्तीय उपलब्धियों की निगरानी करने के अतिरिक्त विभिन्न संकेतकों पर सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाएगा। एक द्विस्तरीय एम एंड ई पद्धति अर्थात् राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी समिति (ईसी) और राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) को अपनाया जाएगा। ईसी द्वारा अनुमोदन के अनुसार तीसरे पक्ष से स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययन करवाया जाएगा।

एनबीएम के तहत और पुनर्गठित एनबीएम के दौरान अब तक हुई प्रगति और उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए इस मिशन के लिए एनएमएसए पोर्टल पर एक अलग एमआईएस शुरू किया जाएगा। परिचालनरत मैकेनिज्म का ब्यौरा ईसी द्वारा और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के अनुमोदन से तैयार दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा। इनमें आवंटित बजट के भीतर जरूरत के अनुसार संशोधन किया जा सकता है।

9. **वित्तपोषण पद्धति**

वित्तपोषण पद्धति पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, जहां यह 90 :10 के अनुपात में होगी, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच 60 :40 के अनुपात में होगी। संघ शासित क्षेत्रों, आर एंड डी संस्थानों/बांस प्रौद्योगिकी सहायता समूहों (बीटीएसजी) और राष्ट्रीय स्तर की

एजेंसियों के मामले में यह 100 प्रतिशत होगी। प्रमुख गतिविधियों की सहायता पद्धति **अनुबंध-V** पर दी गई हैं।

10. कार्यक्रम मिशन

यह मिशन प्रत्येक खंड में मांग के अनुसार और जरूरत आधारित होगा। प्रौद्योगिकी विभिन्न कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन्फोर्मेशन कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी), रिमोट सेंसिग एंड ज्योग्राफिक इन्फोर्मेशन सिस्टम जैसी प्रौद्योगिकियों का रोपड़ और निगरानी उद्देश्यों के लिए व्यापक रूप में उपयोग किया जाएगा। पूर्ववर्ती एनबीएम में तैयार की गई समूची अवसंरचना का सदुपयोग करने और यदि जरूरत पड़ी तो पुनर्गठित एनबीएम के कार्यान्वयन के लिए स्थायी परिसंपत्तियों को नामित नोडल विभाग में स्थानांतरित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिकल्पित कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के होंगे और क्षेत्रीय आधार पर अलग-अलग होंगे जिनमें समूची मूल्य श्रृंखला का विकास सुनिश्चित करते हुए उच्च-प्रौद्योगिकी वाली पौधशालाओं के विकास और टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण सहित; समग्र संपर्कों के विकास, उपचार और प्रसंस्करण के लिए अवसंरचना तैयार करते हुए, उत्पाद विकास, विपणन द्वारा क्लस्टरों में गुणवत्तापूर्ण रोपड़ सामग्री का उपयोग करते हुए बांस रोपण पर ध्यान दिया जाएगा।

इन घटकों का ब्यौरा, सहायता के अनुमोदित मानकों के साथ इसकी अनुमानित लागत **अनुबंध-IV** पर दी गई है।

राष्ट्रीय बांस मिशन के मुख्य तत्व

- उच्च उत्पादक बांस जर्मप्लाज्म की पहचान करने से लेकर भविष्य में इसकी वृद्धि के लिए सुधार, रोपण तकनीक में सुधार, कटाई हो चुके बांस के संरक्षण और ट्रीटमेंट, प्रसंस्करण, उत्पाद विकास और विपणन तक बांस क्षेत्र के सतत विकास के लिए अनुसंधान और विकास।

- गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन करने के लिए टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला वाली उच्च-तकनीकी पौधशालाओं सहित नई पौधशालाओं की स्थापना करना।
- वाणिज्यिक आधार पर उच्च उत्पादक बांस रोपण तैयार करना।
- बांस का कीट और रोग प्रबंधन।
- किसानों द्वारा बांस की खेती के लिए उत्तम सस्यविज्ञानी पद्धतियों को शेयर करना।
- किसानों, कृषि कर्मियों, उद्यमियों और अन्य के लिए कौशन विकास/क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास।
- बांस के लिए नई विपणन रणनीति और बांस मंडियों, बांस बाजार और खुदरा दुकानों की स्थापना।
- बांस आधारित उद्योग को बढ़ावा देना।
- उत्पाआद का डिजाइन एवं विकास तथा अधिक मूल्यय वाले बांस उत्पारदों का उत्पा दन।
- बांस क्षेत्र में नए सूक्ष्मव लघु एवं मध्यलम उपक्रमों की स्थाापना करना।
- बांस उत्पा्दों के विपणन/निर्यात को बढ़ावा देना।
- गहन निगरानी, मूल्यांिकन व रिपोर्टिंगडाटाबेस का सृजन, संकलन एवं विश्ले्षण।

बांस न केवल गरीबी उन्मूोलन बल्किस समृद्धि प्राप्तग करने में महत्वकपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

10.1 अनुसंधान एवं विकास

विशिष्ट। कृषि-जलवायुवीय तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिरतियों को ध्याान में रखते हुए प्रत्ये।क क्षेत्र/राज्यु /संघ राज्यक क्षेत्र की आवश्याकता अनुसार अनुसंधान एवं विकास के अंतर्गत कार्यक्रमों में प्रौद्योगिकी सृजन पर मुख्यत रूप से ध्याान दिया जाएगा। बांस-आधारित कृषि वानिकी प्रणालियों में होस्टैंसड़ ब्लॉ क पौधरोपण, वाइड-रॉ (चौड़ी पंक्ति‍ा) अंतरफसलन , विंड ब्रेक (वायु रोधक) व विविध प्रणालियां शामिल हैं। तथापि फसलों के साथ अनुकूलता, फसल की उपज व गुणवत्ताो पर प्रभाावअधिकतम रोपण घनत्वप एवं अन्यन प्रबंधन विकल्पक जैसे कृषि वानिकी के अंतर फसलन विकल्पों पर काफी कम सूचना उपलब्ध है। संपूर्ण एवं अधिक कुशल उपयोग के लिए मूल्य श्रृंखला में विभिन्न अन्यध लिंक में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि अन्य उपलब्धल विकल्पोंन एवं प्रौद्योगिकियों के साथ प्रतिस्पोर्द्धा की जा सके। भारत एवं विदेश में उपलब्धय प्रभावी प्रलेखन /अंतरण एवं प्रसार पर बल दिया जाएगा। किसानों को श्रेष्ठ।

प्रणालियों का प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शन प्लॉ/ट व साथ ही फसलोपरान्तप मूल्यक संवर्धन प्रोटोकॉल स्थापपित किए जाएंगे।

अंतर्राष्ट्री□य बांस एवं रतन नेटवर्क (आईएनबीएआर) , विश्वर कृषि वानिकी केंद्र (आईसीआरएएफ) एवं खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) जैसे अंतर्राष्ट्री य संगठनों के सहयोग से बांस क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

10.2 रोपण विकास

इस घटक का मुख्य लक्ष्यज सरकारी व निजी कृषि भूमि, सामुदायिक भूमि , कृषि योग्यक बंजर भूमि, वाणिज्ययक उपयोग के लिए गैर-वन्यि भूमि में बांस रोपण के अंतर्गत क्षेत्र विस्ताजर करना तथा किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। इस घटक का उद्देश्यय उद्योग के लिए घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए वाणिज्यि्क रूप से महत्व।पूर्ण बांस प्रजातियों का उत्पा दन व उत्पातदकता बढ़ाना व आयात पर निर्भरता कम करना है।

पूर्वोत्तआर भारत के राज्योंह विशेष रूप से मणिपुर व नागालैंड ने यह बताया है कि वन क्षेत्र विभिन्न् स्वातमित्वों अर्थात सरकारी सामुदायिक व निजी स्वा मित्वब के अंतर्गत आते हैं और अवर्गीकृत वन मुख्यस रूप से सामुदायिक अथवा निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पूर्वोत्तर में ऐसे सामुदायिक स्वाुमित्वू वाले क्षेत्रों जहां लागू हो, में एनबीएम के अंतर्गत रोपण के लिए अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि राज्य सरकार ऐसे स्वा मित्वं का प्रमाण एवं इन क्षेत्रों में उगाए गए बांस की कटाई व एक्ट्रेिक्शमन सीमा का आदेश दे। ये क्षेत्र वन (संरक्षण अधिनियम) 1980 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित नहीं किए जाने चाहिए।

इस घटक का समग्र लक्ष्या उद्योग को गुणवत्ताीप्रद कच्चे् बांस की उपयुक्तण प्रजातियों की आपूर्ति करना, रोजगार सृजन करना व ग्रामीण अर्थव्यपवस्थाे को मजबूत बनाना है। इसलिए यह महत्वतपूर्ण है कि क्षेत्र में अनुमानित मांग के अनुसार रोपण किया जाए। एमएसएमई मंत्रालय के विकास संस्थावऩ उद्योग व राज्य कृषि विभाग को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि किसान/क्लरस्ट,र को चिन्हि त किया जा सके व आरम्भि्क सहायता दी जा सके।

इसके अंतर्गत निम्न लिखित मुख्यट कार्यक्रम शामिल हैं:

10.2.1 नर्सरियों की स्थाखपना

निर्धारित लक्ष्यों् की पूर्ति के लिए अधिक मात्रा में गुणवत्ता प्रद पौध सामग्री की आवश्याकता पड़ेगी। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में नर्सरियां (छोटी , बड़ी व हाईटेक नर्सरियां) स्थायपित की जाएंगी। गुणवत्तान व उत्पारदकता सुनिश्चि त करने के लिए बढिया गुणवत्तान के जर्म प्लायज्म की टिश्यूत कल्चवर रेज्डत प्लां्टिंग रोपण सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। एनबीएम के तहत पहचानी गई और स्थापित विभिन्न बांस प्रजातियों के बेहतर क्लोनों के गुणन को बढ़ाया जाना चाहिए। राज्यों को बांस के पुष्प्ण की घटनाओं पर सतर्कता रखना चाहिए और उन बीजों के संग्रह और उपयोग के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना चाहिए जो एक दुर्लभ और बहुमूल्य वस्तु है और - बांस की क विशिष्टता है। ये उपाय वन विभागों, उपयोगकर्ता उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, किसान समूहों, स्वयं सहायता समूहों, केवीके एनजीओ और व्यक्तिगत किसान / बेरोजगार युवाओं के माध्यम से किये जा सकते हैं। निजी क्षेत्र में वाणिज्यिक उत्पादन को रोपण सामग्री की नियमित और निरंतर आपूर्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

10.2.2 प्रमाणित रोपण सामग्री

रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उनके क्षेत्र के बीटीएसजी के परामर्श से प्रत्येक राज्य के लिए संबंधित बीडीए / एफडीए द्वारा एक उपयुक्त प्रमाणन एजेंसी की पहचान की जाएगी।

10.2.3 नर्सरी

1. <u>हाई टेक नर्सरी</u> : बीमारियों और वायरस से मुक्त बड़ी मात्रा में गुणवत्ता रोपण सामग्री की आपूर्ति के लिए, जो है, टिश्यूं कल्च रइकाइयों की स्थापना की जाएगी।इन इकाइयों को आईसीएफआरई/आईसीएआर संस्थानों और निजी/सार्वजनिक या सहकारी क्षेत्र में अन्य संगठनों में स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। आईसीएफआरई/आईसीएआर से करीबी निरीक्षण और तकनीकी सहायता के तहत टिश्यू।कल्च/र इकाइयों की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक नर्सरी अपनी गुणवत्ता के लिए यथावत प्रमाणित अनिवार्य प्रजातियों के प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर न्यूकनतम 50000पौधे का उत्पादन करेगी। नर्सरी

के पास तापमान नियंत्रण के लिए अपनी कंपोस्टिंग इकाई, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और ग्रीन हाउस / छाया / धुंध कक्ष होना चाहिए। इसकी अपनी टिश्यू कल्चपर प्रयोगशाला होनी चाहिए या इसे प्रत्याधयितटिश्यूनकल्च रप्रयोगशाला से जुड़ा होना चाहिए।

2. <u>बड़ी नर्सरी:</u> प्रत्येक नर्सरी अपनी गुणवत्ता के लिए यथावत प्रमाणित अनिवार्य प्रजातियों के प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 25000 पौधे का उत्पा◌ादन करेगी।नर्सरी में अपनी कंपोस्टिंग इकाई, प्रमाणित बीज/प्रोपेगुल/सिंचाई प्रणाली का उचित स्रोत और ग्रीन हाउस/छाया/धुंध कक्ष होना चाहिए।
3. <u>छोटी नर्सरी</u> : प्रत्येक नर्सरी अपनी गुणवत्ता के लिए यथावत प्रमाणित अनिवार्य प्रजातियों के प्रति वर्ष कम से कम 16,000 टन पौधे/पौध का उत्पादन करेगी। नर्सरी के पास अपनी कंपोस्टिंग इकाई होनी चाहिए, और प्रमाणित बीज / प्रोपगुल्स का उचित स्रोत होना चाहिए ।

10.2.4 नए बागानों का विकास

नई बागानों के विकास के लिए भूमि का चयन करना पूर्व अपेक्षित होता है। बेकार पड़ी हुई भूमि की पहचान करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (एनईएसएसी), भारतीय मृदा एवं भू उपयोग सर्वेक्षण (एसएलयूएसआई), राष्ट्री□य मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूकरो (एनबीएसएसएलयूपी) और राज्य रिमोट सेंसिंग एजेंसियों के पास सेटेलाईट तस्वीयरें उपलब्ध हैं। जिसका उपयोग समुचित जमीनी हकीकत जानने के पश्चाएत वृक्षारोपण के लिए लिया जा सकता है। बीडीए तत्का◌ाल भूमिकी पहचान और निर्धारण करेगा ताकि वृक्षारोपण की प्रक्रिया की जा सके। संबंधित विभागों को मूल्य श्रृंखला में इस महत्वपूर्ण प्रथम चरण के लिए पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता होगी। नर्सरियों के समुचित नेटवर्क के साथ निजी , सामुदायिक , बेकार पड़ी हुई भूमि पर बांस रोपण के लिए संविदा खेती, उद्योग के साथ खरीदी करार, भूमि को पट्टे पर लेने आदि को प्रोत्सा हित किया जाना चाहिए। आर्थिक पैमाने की प्राप्तिग के लिए यह जरूरी है कि किसान उत्पा दक संगठन (एफपीओ), किसान उत्पा◌ादक कंपनी(एफपीसी), ग्राम उत्पातदकसंगठन (वीपीओ), स्वरयं सहायता समूह (एसएचजी) और समान प्रकार के संगठनों को प्राथमिकता दी जाए। सभी बागानों को भू-संदर्भित किया जाना चाहिए।

i. सघन वृक्षारोपण : लगाई जाने वाली प्रजातियां अनुमोदित योजना के अनुसार होंगी। प्रमाणित रोपण सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि गुणवत्ताप एवं उच्च उपज सुनिश्चित की जा सके। पौध प्रति हेक्टेयर के लिए **अनुबंध-IV** का संदर्भ लें। सिंचाई और उर्वरण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। अगले 2 वर्षों में रखरखाव को सर्वाइवल प्रतिशत अर्थात 1 वर्ष के बाद न्यूसनतम 80 प्रतिशत और 2 वर्ष के पश्चांत 100 प्रतिशत तक जोड़ा जाएगा और इसके साथ ही समान आयु वाली पौध को शेष उपयुक्तत पौध से प्रतिस्थागपित किया जाएगा।

ii. किसानों के खेतों पर ब्लॉक वृक्षारोपण/सीमांत वृक्षारोपण: कम से कम प्रति हेक्टेयर 375-450 पौधे प्रति हेक्टेयर होंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वांछित प्रजातियों की प्रमाणित रोपण सामग्री किसानों को उचित कृषि संबंधी प्रणालियों के साथ प्रदान की जाती है ताकि बांस सहित कृषि फसलों से समग्र लाभ में वृद्धि की जा सके। अगले 2 वर्षों में रखरखाव को सर्वोइवल प्रतिशत अर्थात 1 वर्ष के बाद न्यूसनतम 80 प्रतिशत और 2 वर्ष के पश्चावत 100 प्रतिशत तक जोड़ा जाएगा और इसके साथ ही समान आयु वाली पौध को शेष उपयुक्तक पौध से प्रतिस्थारपित किया जाएगा।

10.3 विस्तार, शिक्षा और कौशल विकास

किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ उचित प्रजातियों की कृषि प्रणालियों के संपूर्ण पैकेज, बांस आधारित कृषि वानिकी मॉडल और संबंधित उद्योग के आवश्यकता के अनुसार सतत फसलन , उत्पाादनउद्योग संपर्क जोड़ने के लिए व्यासपक सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) अभियान शुरू किए जाने की आवश्यसकता है। प्रशिक्षण, फ्रंटलाइन प्रदर्शन, प्रचार एवं प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंतरण एनबीएम का एक अभिन्न अंग है। इस कार्यक्रम के तहत कौशल विकास/किसानों, फील्डा स्तारीय कार्मिकों और उद्यमियों का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। संबंधित संपूर्ण उपयोग के अनुसार बांस के उच्चम उपज रोपण और फसलन के लिए वैज्ञानिक उपायों (पूर्व फसलोपरान्तग प्रबंधन) को अपनाने के लिए समुचित प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यिकता है। इन महत्वपूर्ण कार्यकलापों को प्रशिक्षुओं के लिए संसाधन सामग्री प्रदान करना और उनको प्रदर्शनियों और प्रदर्शनों के माध्यम से विभिन्न कृषि तकनीकों से परिचित कराया जाना है। इन कार्यकलापों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता

फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) और संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों के अनुसरण में सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र एवं गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा भी शुरू किया जाएगा।

अनुबंध-IV में दिए गए मानदंडों के अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी।

10.4 सूक्ष्म सिंचाई

विशेषकर रूप से गर्मियों के महीनों के दौरान (बेहतर उपज के लिए), बांस रोपण की सिंचाई आवश्यक है। एनबीएम के तहत किए गए वृक्षारोपण के लिए सूक्ष्म सिंचाई और उर्वरण के लिए सहायता योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार डीएसीएंडएफडब्ल्यू के प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - प्रति बूंद अधिक फसल के तहत प्राप्तु की जा सकती है।

10.5 फसलोपरान्तप भंडारण और उपचार सुविधाएं

बांस वृद्धि, भंडारण और तत्परश्चाात उत्पाद्निर्माण के दौरान कई प्रकार के कीड़ों और फफूँदी से प्रभावित होता है। भौतिक, रासायनिक और जैविक तकनीकों से युक्ते निवारक और उपचारात्मक उपाय उपलब्ध हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए समेकित कीट प्रबंधन का सुझाव दिया जाता है। कच्चे बांस श्रेणी-3 (गैर-टिकाऊ श्रेणी) में आता है और विभिन्न प्रजातियों के बीच टिकाऊपन में थोड़ा अंतर होता है। तथापि, अब तक विकसित तकनीक के साथ, यदि परिरक्षकों से उपचार किया जाता है तो यह 50 साल से अधिक चल सकता है। बुआई पूर्व और फसलोपरांत उपचार फफूँदी और कीड़ों से होने वाले नुकसान को कम करने में प्रभावी होते हैं। कई परिरक्षक विकसित और व्यावसायीकृत किए गए हैं। अग्निरोधी रसायनों के साथ बांस का उपचार करना भी संभव है लेकिन इसकी लागत आम तौर पर अधिक होती है। जैव अवक्रमण और अग्निई के विरूद्ध सुरक्षा के लिए उपयुक्त और लागत प्रभावी उपचार की खोज के लिए और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। अभियांत्रिक बांस उत्पादों से संबंधित प्रक्रियाएं भी जैव अवक्रमण इसकी रक्षा से करती हैं। खेत से बांस की फसल की कटाई के पश्चाीत इसे सुरक्षित रूप से ले जाया जाना चाहिए और ठीक से संग्रहित किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, गांवों के पास उपयुक्त गोदामों का निर्माण किया जाना

चाहिए। उपज भंडारण करते समय इसका जीवन काल को बढ़ाने के लिए उपचार किया जाना चाहिए।

परिवहन लागत को कम करने, बिना किसी अपव्योय के साथ पूरे बांस का उपयोग और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उत्पादन क्षेत्र के नजदीक प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थावपना जरूरीहै। पारंपरिक कारीगरी के उन्नयन और नए कौशल की शुरूआत के माध्यम से स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार के लिए सूक्ष्म/मध्यम प्रसंस्करण इकाइयों को जोड़ा जाएगा।

10.6 बांस मंडी अवसंरचना का संवर्धन और विकास

वन क्षेत्रों के बाहर उगने वाले बांस को प्रत्यिक्ष विपणन किसान उपभोक्तार मंडी तदर्थ खरीददारों, अंतर राज्य व्यापार इत्यादि के अवसर प्रदान करते हुए मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुरूप एपीएमसी सहित विनियमित बाजारों में इसकी बिक्री शुरू करने के लिए इसे कृषि उत्पामद के रूप में घोषित करने की आवश्यकता होगी। राज्यों को बांस के लिए पैन इंडिया ट्रांजिट परमिट जारी करने के लिए एमओईएफ और सीसी के निर्देश को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ई-राष्ट्री□य कृषि मंडी (ई-एनएएम) के लिए बांस के लिए व्या पार योग्यम मापदंड अधिसूचित किए गए हैं और इसलिए ई-एनएएम के साथ समेकित राज्यों को उत्पादकों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए इस पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी पोर्टल पर बांस का विपणन शुरू करना चाहिए। बांस और प्राथमिक प्रसंस्कृात उत्पादों के विभिन्न प्रकारों से संबंधित मंडी सूचना किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी और प्राथमिक प्रसंस्कवरणकर्ताओं की ऐसी जानकारी और डाटा तक सीधे पहुंच होगी, जिससे उन्हें अपनी गतिविधियों के नियोजना करने में मदद करेगा। विपणन और निरीक्षण निदेशालय, डीएसीएंडएफडब्ल्यू के साथ-साथ राज्य विपणन बोर्ड मंडियों में मूल्यी और आवक पर जानकारी प्रदान करेंगे। राज्यों में ग्रामीण विकास मंत्रालय और डीआरडीए के कार्यक्रमों के साथ ग्रामीण हाटों को ग्रामीण अवसंरचना को पुनर्गठित करने के लिए स्थापित किया जाएगा और किसान अपने उत्पाद सीधे व्यापारियों/उद्योगों को बेचने में सक्षम बनेंगे।

10.7 बांस मंडी अनुसंधान

हालांकि हाल ही में उच्च मूल्य और उच्च तम बाजार बांस उत्पादों पर बहुत अधिक संख्याि में मंडी सर्वेक्षण आयोजित किए गए हैं , तथापि और उत्पातदित किए जा रहे कम मध्यम मूल्य वाले बांस उत्पादों की जरूरतों, आवश्यकताओं और लाभप्रदता के समाधान करने के लिए एक बड़ा अंतर बना हुआ है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह अत्येधिक आवश्यक है कि सभी वित्तीय संस्थान और बैंक परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों की विपणन क्षमता पर ध्याधन दें। इस प्रकार टूथपिक, विन्डोंड ब्ला इन्डबकॉटन इयर बड , स्यू संपवर और इसी प्रकार के उत्पा द, जिन्हेंर हमारे देश में परंपरागत रूप से बनाया जाता है और उपभोक्ता इन वस्तुरओं के उपयोग करने के आदी हो गये, जैसे बांस उत्पारदों से संबंधित मंडी सर्वेक्षण करवाए जाने का मार्ग प्रशस्तय हुआ है। मांग आपूर्ति श्रृंखला के आकलन एवं वर्तमान कंपनियां और भविष्यड की मांगों का आकलन करने के अलावा यह बाजार सर्वेक्षण इस बात पर भी जोर देगा कि बांस उत्पानदों की स्थि ति तथा मूल्या निर्धारण, मांग आपूर्ति एवं ब्रांड को दर्शाते हुए मंडी प्रविष्टिन कार्यनीति कैसे बनाई जाए। यह परियोजना आधारित कार्यकलाप एनबीएम /बीटीएसजी द्वारा निविदाएं जारी करने के बाद प्रत्यवक्ष रूप से उपयुक्त एजेंसी के माध्यम से की जाएगी और सहायता 100% होगी।

10.8 इनक्यूबेशन केंद्र

यह घटक एमएसएमई मंत्रालय की एक समान योजना से तैयार किया गया है और उन्हींव मानदंडोंऔर प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

10.9 उत्पादन, विकास और प्रसंस्करण

सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) सहित उत्पादन, विकास और प्रसंस्करण से संबंधित कार्यकलाप के प्रस्ताधव में, स्थान का नाम, बांस के उत्पादन की उपलब्धता, मशीन/उपकरण वार विवरण और उनकी लागत, वार्षिक रोजगार सृजन इत्यादि को अनुमोदन हेतु राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा यथावत अनुमोदित करके प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। उचित व्यवहारिक अध्ययन और पुनर्वास योजना के बाद मौजूदा इकाइयों के पुनर्वास पर विचार किया जा सकता है।

अनुबंध- I

पूर्व एनबीएम में बनाए गए अवसंरचना की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	नर्सरी*	प्रशिक्षण (संख्या में)		रोपण (हेक्टेयर में)				मौजूदा स्टॉक में सुधार (हेक्टेयर में)	टिशू कल्च र टिशू कल्च र इकाइयों का पुनर्वास (संख्या)	बांस बाजार (संख्या)	खुदरा दुकानों की (संख्या)
			किसान	खेत कर्मियों	वन क्षेत्र	गैर वन क्षेत्र	सरकारी भूमि	ड्रिप सिंचाई के साथ गैर वन क्षेत्र				
1.	आंध्र प्रदेश	10	37	10	1064	19	0	0	0	0	0	0
2.	बिहार	3	2249	82	2445	1507	0	0	1753	0	0	2
3	छत्तीसगढ़	95	1911	225	12234	6274	0	0	8590	0	0	0
4	गोवा	3	50	0	1 1	0	0	0	21	0	0	0
5	गुजरात	31	715	183	9599	4467	0	500	4045	0	0	1
6	हिमाचल प्रदेश	15	316	212	3640	1228	0	0	1179	0	0	0
7	जम्मू-कश्मीर	42	379	66	1301	415	0	0	189	0	0	0
8	झारखंड	16	328	70	4292	12	100	0	3110	0	0	0
9	कर्नाटक	26	274	147	15755	588	0	0	5806	0	0	0
10	केरल	1 1	311	200	787	4	0	250	606	0	0	4
1 1	मध्य प्रदेश	29	7050	3983	7480	514	50	4000	5570	0	5	2
12	महाराष्ट्र	33	3028	1198	4117	2569	24	0	1775	0	1	3
13	ओडिशा	183	3500	270	11705	3815	500	0	4901	0	7	8
14	पंजाब	2	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
15	राजस्थान	64	2354	70	4632	2850	29	0	0	0	0	0

16	तमिलनाडु	14	4145	447	285	2818	0	20	275	0	1	1
17	तेलंगाना*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	उत्तर प्रदेश	32	662	194	4153	2095	0	0	800	1	0	0
19	उत्तराखंड	19	1130	310	4970	876	182	0	839	0	0	1
20	पश्चिम बंगाल	29	115	0	130	260	0	0	107	0	0	0
	उप-कुल	**657**	**28,554**	**7667**	**89,400**	**30311**	**885**	**4770**	**39566**	**1**	**14**	**22**
	पूर्वोत्तर राज्य											0
21	अरुणाचल प्रदेश	104	3977	788	14,595	23,982	0	0	3950	0	4	7
22	असम	52	4665	1040	17,591	1300	1500	0	8989	2	6	7
23	मणिपुर	98	4580	505	18226	31,498	0	0	6258	0	0	1
24	मेघालय	34	766	309	4997	917	0	0	753	0	0	0
25	मिजोरम	147	2821	480	38601	16572	300	1200	8876	0	6	13
26	नागालैंड	92	4603	462	44,430	0	0	0	16,429	0	10	11
27	सिक्किम	106	2941	545	4712	7844	745	100	3004	0	0	7
28	त्रिपुरा	176	8219	914	4148	3167	0	0	3890	0	0	0
	उप-कुल (एन.ई.)	**809**	**32,572**	**5043**	**147,300**	**85,280**	**2545**	**1300**	**52,149**	**2**	**26**	**46**
	कुल योग	**1466**	**61,126**	**12710**	**236,700**	**115,591**	**3430**	**6070**	**91,715**	**3**	**40**	**68**

* केन्द्रीकृत, महिला, किसान, हाई-टेक और छोटी नर्सरी सहित

अनुबंध-II

मंत्रालयों/विभागों की कार्यान्वयन भूमिका के लिए हस्तक्षेप

क्र. सं.	**भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग**	**कार्यान्वयन के लिए हस्तक्षेप**	**टिप्पणियां**
1.	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	i) गैर वन भूमि में प्रसार और खेती ii) बांस बाजारों के लिए अवसंरचना का प्रचार और विकास iii) प्रशिक्षण और कौशल विकास	किसानों के लाभ के लिए खेती; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) को शामिल करते हुए आरएंडडी से संबंधित
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	i) परियोजना आधारित आरएंडडी गतिविधियों ii) फील्ड परीक्षण, प्रदर्शन और पायलट परियोजनाएं	परियोजना आधारित अनुसंधान कार्य और प्रदर्शन
3	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	i) उच्च उत्पादकता किस्मों, टिश्यूत कल्चरग्र परीक्षण और मानकीकरण एवं क्षेत्र परीक्षण सहित आरएंडडी ii) मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास iii) मिशन के तहत विकसित मूल्य श्रृंखला में वनों में बांस क्षेत्र को लाना	भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) यथा भारतीय प्लाईवुड औद्योगिक अनुसंधान संस्थान (आईपीआईआरटीआई) और अन्य संस्थानों में उद्योग कृषि विज्ञान प्रथाओं के लिए उपयुक्त प्रजातियों से संबंधित आरएंडडी।
4	सूक्ष्मो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	i) बांस उपचार और संरक्षण का संवर्धन ii) सूक्ष्म/मध्यम प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना; iii) आईपीआईआरटीआई और अन्य संस्थानों द्वारा विकसित उत्पादों का प्रचार iv) हस्तशिल्प/कॉटेज उद्योग, फर्नीचर बनाने, फैब्रिक/आभूषण बनाने, धूप छड़ी बनाने, बांस बोर्ड/चटाई/नालीदार चादरें/फर्श टाइल्स बनाना आदि	प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों; सूक्ष्म, छोटे और मध्यम बांस आधारित उद्यम; छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड के साथ अभिसरण में बांस बजार (मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए आउटलेट) के विकास सहित समग्र संपर्क को स्थापित करना महत्वपूर्ण होगा।

		v) सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना vi) आजीविका व्यापार इनक्यूबेटर (एलबीआई) की स्थापना	
5	पूर्वोत्तईर क्षेत्र विकास मंत्रालय	संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वोय में 8 पूर्वोत्तंर राज्यों में इन संकेतक गतिविधियों का कार्यान्वोयन करना। यह उस क्षेत्र के लिए जो देश के बांस संसाधन का 60% वहन करता है, एक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करेगा ।	संस्थाि◌नों जैसे पूर्वोत्तपर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं पहुंच केन्द्रव (एनईसीटीएआर), केन और बांस प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीबीटीसी), उत्तर पूर्वी वित्त विकास निगम (एनईडीएफआई), बांस और केन विकास संस्थान आदि के निकट भागीदारी सुनिश्चित करना। एनईसी के तहत स्थापित उत्तर पूर्व बांस विकास परिषद (एनईबीडीसी) को जोड़ना।
6	ग्रामीण विकास मंत्रालय	बांस आधारित आजीविका और निर्माण को बढ़ावा देना	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण में
7	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	बायो-ईंधन के विकास के लिए तकनीकी सहायता और नीति फ्रेम कार्य प्रदान करने और बायो-ईंधन के लिए कच्चे माल के रूप में बांस के उपयोग को बढ़ावा देना	अन्य बांस उद्योग से अपशिष्ट के उपयोग के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए
8	कपड़ा मंत्रालय	i. अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और बांस फाइबर और फैब्रिक्से के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का उन्नगयन करना। ii. डिजाइन, उत्पाद विकास, सीएफसी की स्थाि◌पना, फर्नीचर, टोकरी, उपयोगिता उत्पाद, आभूषण, चटाई उत्पाद, टर्निंग उत्पादों पर पीजी डिप्लोतमा सहित कौशल एवं क्षमता विकास और बढ़ावा iii. अपनाये गये प्रौद्योगिकियों को	स्थासपित संस्थायनों जैसे बांस और केन विकास संस्थाथन (बीसीडीआई) के माध्य म से आरएंडडी, कौशल, डिजाइन और उत्पाद विकास, शिक्षा एवं विस्तासर। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) द्वारा संवर्धन और ब्रांड निर्माण। राष्ट्रीय डिजाइन और उत्पाद विकास केंद्र (एनसीडीपीडी) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के लिए द्वारा विषयगत प्रदर्शन और प्रदर्शन।

		बढ़ावा देने और नवाचारी उत्पा दों का संवर्धन और विपणन करना।	
9	ऊर्जा मंत्रालय	बिजली उत्पादन में बांस और बांस अपशिष्ट के उपयोग को बढ़ावा देना	पारंपरिक ईंधन के पूरक के लिए बांस अपशिष्टक का उपयोग किया जाना चाहिए
10	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	बिजली उत्पादन में बांस और बांस अपशिष्टयके उपयोग को बढ़ावा देना	बांस अपशिष्टजका उपयोग किया जाना चाहिए
11	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	बांस उद्योग और निर्यात संवर्धन; घरेलू बांस उद्योग का प्रचार से संबंधित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मुद्दों पर समर्थन	विभिन्न बांस उत्पादों पर आयात शुल्क तर्कसंगत होने चाहिए
12	आवास और शहरी विकास मंत्रालय	सभी सरकारी निर्माणों में विशेष रूप से प्रमुख बांसवाले राज्यों में बांस का समर्थन और अधिदेश उपयोग।	
13	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	मूल्य श्रृंखला में विभिन्न गतिविधियों के लिए समर्थित आरएंडडी	
14	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	संबंधित मंत्रालय/विभाग और क्षेत्र कौशल परिषदों के सहयोग से बांस क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के लिए रोजगार भूमिका और पाठ्यक्रम विकसित करना, जिसमें प्राथमिक शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) शामिल है।	

अनुबंध- III

संकेतक बीटीएसजी घटक

क. राष्ट्रीय स्तर

क्र. सं.	**मद**	**कुल**	**मानदेय प्रति माह (रुपये में)**	**टिप्पणियां**
1.	मुख्य सलाहकार/वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार	01	70,000/-	
2.	सलाहकार/तकनीकी सहायक	2	40,000/-	
3	प्रोग्रामर	1	40,000/-	
4	डाटा एंट्री प्रचालक	4	20,000/-	दिल्ली सरकार/श्रम विभाग/राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होना चाहिए।
5	एमटीएस	3	17,000/-	

ख. बीटीएसजी

क्र. सं.	**मद**	**कुल**	**मानदेय प्रति माह (रुपये में)**	**टिप्पणियां**
1.	बांस सलाहकार	2.	50,000/-	
2.	बांस सहायक	2.	20,000/-	
3	प्रोग्रामर	1.	30,000/-	
4	डाटा एंट्री प्रचालक	2.	10,000/-	संबंधित राज्य सरकार/श्रम विभाग/राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होना चाहिए।

अनुबंध- IV

लागत मानदंडों और वित्तीय पैटर्न के साथ हस्तक्षेप

क्र. सं.	अनंतिम कार्यकलाप		संकेतक इकाई लागत (ऊपरी सीमा) (लाख रुपये में)	सहायता का पैटर्न
क	**प्रसार और खेती**			
1.	सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में बांस नर्सरी का सुदृढीकरण (परियोजना आधारित)	i) हाई-टेक (2 हेक्टेयर) ii) बड़ा (1 हेक्टेयर) iii) लघु (0.5 हेक्टेयर)	50 16 10	**ऋण संबद्ध पार्श्ववांत राजसहायता के रूप में सरकारी क्षेत्र का लागत 100% और निजी क्षेत्र का लागत 50%**
2.	अपशिष्ट भूमि सहित सरकारी/पंचायत/समुदायिक भूमि पर उच्च घनत्व वाले बांस का वृक्षारोपण		3 साल की अवधि में प्रति हेक्टेयर 1.00 लाख रुपये	सरकारी क्षेत्र का लागत 100% और 3 वर्षों (50:30:20) में 2 हेक्टेयर तक (~<3000 पौधों) के लिए लागत का 50%, 2 - 4 हेक्टेयर तक (10000 पौधों) के लिए लागत का 20%। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अतिरिक्त 10% सहायता। 4 हेक्टेयर से अधिक रोपण के लिए कोई भी राजसहयाता प्रदान नहीं की जाएगी। रखरखाव निधि को निष्पादन से जोड़ा जाएगा (पैरा 10.2.4 के अनुसार उत्तरजीविता %)
3।	किसानों के खेत पर ब्लॉक वृक्षारोपण/सीमा वृक्षारोपण		1.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर (प्रति पौधे 240 रुपये के बराबर)	3 वर्षों (50 :30:20) में सरकारी क्षेत्र का लागत 100% और निजी क्षेत्र का लागत 50% रखरखाव निधि को निष्पादन से जोड़ा जाएगा (पैरा 10.2.4 के अनुसार उत्तरजीविता %)

ख	**बांस उपचार का संवर्धन और संरक्षण**			
1.	बांस उपचार और मौसमीय पौधों की स्थापना	सरकारी एवं निजी क्षेत्र में	20 (परियोजना आधारित)	ऋण संबद्ध पार्श्वांत राजसहायता के रूप में का लागत 50%
2.	कार्बोनेशन पौधों की स्थापना	निजी क्षेत्र में	30 (पीबी)	-कर-
3।	आजीविका व्यापार इनक्यूबेटर की स्थापना	सरकार/निजी क्षेत्र	100 (पीबी)	ऋण संबद्ध पार्श्वांत राजसहायता के रूप में सरकारी क्षेत्र का लागत 100% और निजी क्षेत्र का लागत 50%
सी	**उत्पाद विकास और प्रसंस्करण**			
1.	बांस के मूल्यवर्धन के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना (संख्या में)	क्रॉस काटने, टुकड़ा करने, विभाजन करने, नॉट हटाने, आकार देने आदि के लिए इकाई की स्थापना	30 (पीबी)	50% लागत (एनई राज्यों के लिए अतिरिक्त 10%)
2.	प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों में बांस अपशिष्टक्का प्रबंधन	पेलेट्स और सक्रिय कार्बन जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों को बनाने के लिए।	25 (पीबी)	-वही-
3.	सूक्ष्म/मध्यम प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना (संख्या में)	हस्तशिल्प/कॉटेज उद्योग	15 (पीबी)	- वही -
		फर्नीचर बनाना	25 (पीबी)	- वही -
		कपड़ा/आभूषण बनाना	15 (पीबी)	- वही -
		बांस शूट्स प्रसंस्करण	20 (पीबी)	- वही -
		धूप छड़ी बनाना	25 (पीबी)	- वही -
		कपड़ा/फाइबर निष्कर्षण	50 (पीबी)	- वही -
		सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी)	25 (पीबी)	- वही -
		बांस बोर्ड/चटाई/ कोरूगेटेड शीट्स/फर्श टाइल्स बनाना	200 (पीबी)	ऋण संबद्ध पार्श्वांत राजसहायता के रूप में लागत का 30%। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अतिरिक्त 10%।
		जैव ऊर्जा निष्कर्षण	200 (पीबी)	- वही -
		सक्रिय कार्बन उत्पाद	200 (पीबी)	- वही -
		इथेनॉल गैसिफायर	500 (पीबी)	ऋण संबद्ध पार्श्वांत राजसहायता के रूप में लागत का 30%। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अतिरिक्त

				10%।
घ	**बांस बाजार के लिए अवसंरचना का प्रोन्नोयन और विकास**			
1.	बांस डिपो और गोदामों की स्थापना	सरकार क्षेत्र/निजी क्षेत्र में	50 (पीबी)	सरकारी क्षेत्र में लागत का 100% । निजी क्षेत्र के लिए ऋण संबद्ध पार्शवांत राजसहायता के रूप में लागत का 25% सहायता (एनई राज्यों के लिए 33%)।
2.	बांस मंडी (बांस बाजार स्थान) का प्रोन्न्यन और ई-व्यापार	सरकार क्षेत्र / निजी क्षेत्र में	100 (पीबी)	सरकारी क्षेत्र में लागत का 100% । निजी क्षेत्र में लागत का 25% सहायता (एनई राज्यों के लिए 33%)।
3.	ग्रामीण हाट	खुदरा प्रत्यक्ष विपणन	20 (पीबी)	- वही -
4.	बांस बाजार	राज्य में प्रमुख स्थानों पर मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए खुदरा दुकान	15 (PB)	- वही -
ड.	**उपकरण, औजार और मशीनरी का विकास**			
1.	देशी उपकरण , औजर और मशीनरी का तकनीकी संवर्धन		परियोजना आधारित	सरकारी संस्थानों को डिजाइन आदि के विकास के लिए 100% अनुदान, ऐसी मशीन बनाने वाली इकाइयों को 50% अनुदान जो ऐसी मशीन को विकसित कर रहा है।
2.	सामान्य सुविधा केंद्र में तकनीकी बेहतर उपकरण, औजार और मशीनरी का आयात		- वही -	- वही -
च. कौशल विकास और जागरूकता अभियान (आवंटन का 5% तक)				
	i) किसानों / कारीगरों / खेत कर्मियों का प्रशिक्षण/प्रशिक्षण/ आने वाले प्रौद्योगिकियों के लिए बांस क्षेत्र में किसान और उद्यमियों सहित एनबीएम	कौशल भारत मिशन के अनुसार लागत मानदंड अपनाया जाएगा।	परियोजना आधारित	लागत का 100%

	कर्मचारियों/खेत कर्मियों का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण/विगोपण दौरे/उद्यमियों का प्रशिक्षण ii) अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य / जिला स्त र पर कार्यशाला / सेमिनार / प्रशिक्षण आयोजित करना iii) भाग लेने वाले कारीगरों के यात्रा + भोजन/आवास सहित घरेलू व्यापार मेले/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले/प्रदर्शनी आदि में भागीदारी ।	परियोजना आधारित परियोजना आधारित		100% सहायता 100% सहायता
छ. अनुसंधान और विकास (आवंटन का 10% तक)				
1. 2. 3 4 5	आनुवांशिक रूप से उत्कृिष्टे प्रजातियों/किस्मों की पहचान टिश्यूि कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना जिसमें पहचाने गए प्रजातियों/किस्मों + फील्ड परीक्षणों के प्रसार का सुदृढ़ीकरण शामिल है किसानों को सर्वोत्तम अभ्यास प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शन प्लॉकट ऊष्मायन केंद्र बांस बाजार अनुसंधान	परियोजना आधारित		निजी क्षेत्र के लिए 10 लाख तक सरकारी संगठन के लिए 100%
ज. परियोजना प्रबंधन (आवंटन का 5% तक)				
	परियोजना प्रबंधन आकस्मिक निगरानी और मूल्यांकन	प्रस्ताव आधारित	5 तक%	100%

<u>नोट</u> : केन्द्रक: राज्या सरकारों के बीच पूर्वोत्तरक्षेत्र के 8 राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी राज्यों, जहां वित्तीोय साझा 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए प्रस्तावित वित्तीटय प्रणाली 60:40 है और यूटी / बीटीएसजी (मौजूदा) के मामले में 100 % है। यदि एनबीएम (मुख्यालय) द्वारा किसी भी विशिष्ट परियोजना/हस्तक्षेप के लिए प्रत्यंक्ष रूप से किसी भी केंद्रीय संस्थान को निधियां जारी की जाती है तो वित्ती य प्रणाली में 100% केंद्रीय हिस्सा होगा।

अनुबंध- V

वार्षिक कार्य योजना के प्रस्तुतीकरण के लिए प्रारूप

क्र. सं.	गतिविधि	लागत मानदंड (लाख रुपये में)	राजसहायता	वास्तविक लक्ष्य (संख्या में/हेक्टेयर)			वित्तीय लक्ष्य (लाख रुपये में)			लाभार्थियों की संख्या			
				सरकारी	निजी	कुल	कुल	केंद्र शेयर	राज्य शेयर	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सामान्य	महिलाओं
क	**प्रचार और खेती**												
1.	सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में बांस नर्सरी												
	उच्च-तकनीक(2 हेक्टेयर)	50	100% सरकार, 50% निजी।										
	बड़ा (1 हेक्टेयर)	16	100% सरकार, 50% निजी।										
	छोटा (0.5)	10	100% सरकार, 50% निजी।										
2.	अपशिष्ट भूमि सहित सरकारी/पंचायत/समुदायिक भूमि पर उच्च घनत्व वाले बांस वृक्षारोपण	1	100% सरकार,										
3	किसानों के खेत पर ब्लॉक वृक्षारोपण / परिसीमा वृक्षारोपण	1	50%										
उप कुल (क)													
ख	**उत्पाद विकास और प्रसंस्करण**												

1.	बांस उपचार और मौसमीय पौधों को लगाना	20	50%										
2.	कार्बोनेशन पौधों को लगाना	30	50%										
3	आजीविका व्यापार इनक्यूबेटर की स्थापना	100	सरकारी एजेंसियों के लिए 100% और निजी क्षेत्र के लिए 50%										
4	बांस के मूल्यवर्धन के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना (संख्या में)	30	लागत का 50% (एनई राज्यों के लिए अतिरिक्त 10%)										
5	प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों में बांस अपशिष्टक का प्रबंधन	25	-वही-										
6	हस्तशिल्प / कॉटेज उद्योग	15	-वही-										
7	फर्नीचर बनाना	25	-वही-										
8	कपड़ा/आभूषण बनाना	15	-वही-										
9	बांस शुट्स प्रसंस्करण	20	-वही-										
10	धूप छड़ी बनाना	25	-वही-										

11	कपड़ा/फाइबर निष्कर्षण	50	-वही-										
12	सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी)	25	-वही-										
13	बांस बोर्ड/चटाई/ कोरुगटेड शीट्स/फर्श टाइल्स बनाना	200	लागत का 30%, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त 10%										
14	जैव ऊर्जा निष्कर्षण	200	-वही-										
15	सक्रिय कार्बन उत्पाद	200	-वही-										
16	इथेनॉल गैसिफायर	500	-वही-										
उप कुल (ख)													
ग	**बाजार अवसंरचना**												
1.	बांस डिपो और गोदामों की स्थापना	50	100% सरकार, 25% सामान्य, 33% पूर्वोत्तर										
2.	बांस मंडी (बांस बाजार स्थान) और ई-व्यापार का प्रचार	100	100% सरकार, 25% सामान्य, 33% पूर्वोत्तर										
3.	ग्रामीण हाट	20	100% सरकार, 25% सामान्य, 33% पूर्वोत्तर										
4.	बांस बाजार	15	100% सरकार,										

			25% सामान्य, 33% पूर्वोत्तर										
उप कुल (ग)													
कुल (क + ख + ग)													
घ	**कौशल विकास और जागरूकता अभियान (आवंटन का 5% तक)**												
i)	किसानों/कारीगरों का प्रशिक्षण	परियोजना आधारित	100% सरकार										
ii)	खेत कर्मियों का प्रशिक्षण	परियोजना आधारित	100% सरकार										
iii)	किसानों और उद्यमियों सहित एनबीएम कर्मचारियों/खेत कर्मियों का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण/ विगोपन दौरे	परियोजना आधारित	100% सरकार										
iv)	उद्यमियों का प्रशिक्षण	परियोजना आधारित	100% सरकार										
v)	अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला/संगोष्ठियों का आयोजन	परियोजना आधारित	100% सरकार										
vi)	राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला/संगोष्ठियों का आयोजन	परियोजना आधारित	100% सरकार										

vii)	राज्य स्तर पर कार्यशाला/संगोष्ठियों का आयोजन	परियोजना आधारित	100% सरकार										
viii)	जिला स्तर पर कार्यशाला/संगोष्ठियों का आयोजन	परियोजना आधारित	100% सरकार										
ix)	घरेलू व्यापार मेले में भागीदारी	परियोजना आधारित	100% सरकार										
x)	अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदारी	परियोजना आधारित	100% सरकार										
xi)	राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी	परियोजना आधारित	100% सरकार										
ड.	**अनुसंधान और विकास (आवंटन का 10% तक) (निजी क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक)**												
i)	आनुवांशिक रूप से उत्कृष्ट प्रजातियों/किस्मों की पहचान	परियोजना आधारित	100% सरकार										
ii)	सुदृढीकरण सहित टिशू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना	परियोजना आधारित	100% सरकार										
iii)	किसानों का बेहतर अभ्यास प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शन प्लाट	परियोजना आधारित	100% सरकार										
iv)	ऊष्मायन केंद्र	परियोजना	100% सरकार										

		आधारित											
v)	बांस बाजार अनुसंधान	परियोजना आधारित	100% सरकार										
च	**परियोजना प्रबंधन (आवंटन का 5% तक) (100% सरकार)**												
सकल कुल (क से च)													

अनुबंध VI

कार्यकारी समिति के अनुमोदन के लिए आवेदन हेतु प्रारूप

भाग I: सामान्य विवरण

1. संगठन का नाम, पूर्ण पता, टेलीफोन फैक्स, ईमेल आईडी
2. अनुबंध IV के मद/कार्यकलाप
3. पंजीकरण संख्या और तिथि (एनजीओ/एसएचजी/निजी संगठन के लिए)
4. मध्यम और बड़ी इकाइयों (एनजीओ/एसएचजी/निजी संगठन के लिए) के लिए पिछले तीन वर्षों की लेखापरीक्षित आय और व्यय विवरण
5. अवधारणा और औचित्य (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट)
6. संगठन के साथ उपलब्ध अवसंरचना का विवरण
7. वित्तीय सहायता का स्रोत

भाग II: तकनीकी विवरण

1. परियोजना क्षेत्र - जीपीएस विवरण, जिला, ग्राम सहित भौगोलिक क्षेत्र
2. औपचारिकता के साथ नर्सरी/वृक्षारोपण के मामले में प्रजातियां को उगाये जाने का प्रस्ताव है
3. नर्सरी/वृक्षारोपण के मामले में मौजूद स्टॉक प्रजातियांवार की स्थिति
4. उपकरणों की खरीद के मामले में मशीनरी की खरीद के लिए औचित्य
5. कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए औचित्य
6. डिपो/गोदामों की स्थापना के लिए औचित्य
7. कोई अन्य महत्वपूर्ण संबंधित जानकारी

(नोट: केवल प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए)